



ER 20/

R-4245-II/12

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्य-प्रदेश ग्वा लियर मध्य
 निगरानी प्रकृत सं 12

1. इब्राहीम तय मेहरवान खां
2. अब्दुल रहमान तय अमीर खां,
3. सकूर खां तय अमीर खां,
4. श्रीमती तम्मो पति श्री स्माईल खां,
5. शहादत खां तय हुसेन खां,
6. अतगर खां तय हुसेन खां,
 समस्त निवासी/ग्राम सरबई, तहसील गौरिहार
 जिला छतरपुर मध्य-प्रदेश

-- प्रार्थीग

का म

मुक्त कल्लो पुरी पति खां पठान निवासी सरबई,
 तहसील गौरिहार जिला निवासिनी ग्राम म्पुरिया,
 तहसील गौरिहार जिला छतरपुर मध्य-प्रदेश

-- प्रतिप्राप्तिना

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अमर कलेक्टर
 महोदय छतरपुर दि 20.6.2012 जो राजस्व
 निगरानी प्रकरणा क्रमांक- 710/निग. /07-08
 में पारित किया गया ।

महोदय, प्रार्थीग जाननीय अमर कलेक्टर महोदय के आदेश दि. 20.6.012
 के विरुद्ध निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है :-

1/ यदकि भूमि रुसरा नम्बर 1113 खा, 1123/4ग, 1125 खा,
 1129 खा, 1125/1, रकबा क्रमांक: 0.040, 1.153, 0.219, 0.146,
 0.146, कुल कित्ता 5 रकबा स्कूत्र 1.8 704 है 0 कुल लगानी 6.16 रुपये -
 निगत ग्राम सरबई तहसील गौरिहार जिला छतरपुर मध्य प्रदेश एवं सरबई स्थित
 निवासी प्रार्थीग और प्रतिप्राप्तिना की वैदिक भूमि खां जो
 निवासी प्रार्थीग और प्रतिप्राप्तिना की वैदिक भूमि खां जो

आगत 5105 रु 50
 द्वारा प्रस्तुत
 सागर (न. प्र.)
 कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग,
 सागर

48
 29/11/12
 दिनांक 29-11-12
 सागर

16-12-12

3-6-12

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4245-दो/2012

जिला छतरपुर

इब्राहिम

विरुद्ध

मुस. कल्लो

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के नाम

07-03-2019

1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 710/निगरानी/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 20-06-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।
2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।

3

(आर.के.जैन)
सदस्य 07/3/19